Pen-I Gen-Dy. No-235 Dt. 28-07-25

सं॰सं॰ : 33–वि॰(अपुनरीक्षित भत्ता)–138 / 2024 1717 / वि॰

झारखण्ड सरकार

वित्त विभाग

राँची / दिनांक 17/07/2025

संकल्प

**विषय :** **राज्य सरकार के कर्मियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (पंचम वेतनमान) में दिनांक 01.01.2025 के प्रभाव से महँगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि के संबंध में।**

वित्त विभाग के संकल्प संख्या 660/वि॰, दिनांक 28.02.2009 के द्वारा राज्य सरकार के सेवीवर्ग को दिनांक 01.01.2006 के प्रभाव से छठा केन्द्रीय पुनरीक्षित वेतनमान/वेतन संरचना की स्वीकृति प्रदान की गयी है। वित्त विभागीय संकल्प 217/वि॰ दिनांक 18.01.2017 के द्वारा राज्य कर्मियों को सप्तम् वेतन पुनरीक्षण का लाभ दिया गया है।

2. भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/1(3)/2025-E.II(B), दिनांक 02.04.2025 के द्वारा केन्द्र सरकार एवं केन्द्रीय स्वशासी निकाय के वैसे कर्मी, जो अपुनरीक्षित पंचम वेतनमान में वेतन प्राप्त कर रहे हैं, के लिये दिनांक 01.01.2025 के प्रभाव से महँगाई भत्ते की दर 466% (चार सौ छियासठ प्रतिशत) कर दी गयी है।

3. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में राज्य के वैसे संवर्ग/कर्मी, जो अपुनरीक्षित पंचम वेतनमान में वेतन प्राप्त कर रहे हैं, को वर्त्तमान में अनुमान्य महँगाई भत्ता की दर को निम्नरूपेण संशोधित करने का निर्णय लिया गया है :--

"राज्य के वैसे संवर्ग/कर्मी, जो अपुनरीक्षित पंचम वेतनमान में वेतन प्राप्त कर रहे हैं, उनके लिए केन्द्र के अनुरूप दिनांक 01.01.2025 के प्रभाव से महँगाई भत्ता की दर 455% (चार सौ पचपन प्रतिशत) से अभिवृद्धि करते हुए 466% (चार सौ छियासठ प्रतिशत) स्वीकृत किया जाय।"

4. झारखण्ड सेवा संहिता के परिभाषित नियम–34(ए) के अनुसार मूल वेतन पर महँगाई भत्ता देय है, परन्तु विशेष वेतन/वैयक्तिक वेतन इत्यादि पर देय नहीं होगा।

5. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति वित्त विभागीय संलेख ज्ञापांक 1601/वि॰ दिनांक 07.07.2025 के क्रम में दिनांक 11.07.2025 की बैठक के मद सं॰ 21 में दी गई है।

**आदेश :** आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखंड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाये तथा इसकी प्रतियाँ सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्षों एवं महालेखाकार (लेखा एवं हक॰), झारखंड, राँची को प्रेषित किया जाय।

**झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,**

16/07/25

**(प्रशांत कुमार)**

सचिव,

वित्त विभाग, झारखंड, राँची।

DP Pen SAI

L-1666

To Pen-I

Chemm

ज्ञापांक : 33–वि॰(अपुनरीक्षित भत्ता)–138/2024. 1777 /राँची, दिनांक 17/07/2025

प्रतिलिपि : माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय/महानिबंधक, झारखंड उच्च न्यायालय, राँची/महालेखाकार (ले॰ एवं हक॰), झारखंड, राँची/मुख्य सचिव के संयुक्त सचिव/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी आरक्षी अधीक्षक/सभी कोषागार/उप-कोषागार पदाधिकारी/जन सूचना कोषांग, वित्त विभाग/वित्त (वै॰दा॰नि॰को॰) विभाग, झारखंड, रांची/कोषागार एवं सांख्यिक वित्त निदेशालय को संबंधित बैंक को सूचित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, वित्त विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/महानिबंधक, झारखंड उच्च न्यायालय, राँची को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि महँगाई भत्ते की इस स्वीकृति के संबंध में माननीय मुख्य न्यायाधीश, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची की सहमति प्राप्त करने के बाद ही अपने स्तर से आदेश निर्गत किया जाय/सहायक अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरंडा, राँची को e-गजट के रूप में राजपत्र असाधारण अंक में प्रकाशन करने तथा पी०एम०यू० कोषांग के श्री कृष्ण मुरारी तिवारी को विभागीय Website पर upload करने हेतु प्रेषित।

16/07/25

(प्रशांत कुमार)<br>
सचिव,<br>
वित्त विभाग, झारखंड, राँची।

AAO/ Sai

AAO/ Pen - 2

AAO/ Pen - 3

AAO/ Pen - 4

AAO/ Pen - 5

AAO/ Pen - 6

Pen. 1 Gen. Dy. No - 236 Dt. 28-07-25

Pen-3 Gen Dy No 563 dt 1/8/25

स०सं० : 33–वि०(अपुनरीक्षित भत्ता)–138 / 2024 1715 वि०

झारखण्ड सरकार

वित्त विभाग

राँची / दिनांक 17/07/2025

संकल्प

विषय : राज्य सरकार के कर्मियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (छठा केन्द्रीय वेतनमान) में दिनांक 01.01.2025 के प्रभाव से महँगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि के संबंध में।

वित्त विभाग के संकल्प संख्या 660 / वि० (2), दिनांक 28.02.2009 के द्वारा राज्य सरकार के सेवीवर्ग को केन्द्र सरकार के कर्मियों के भाँति दिनांक 01.01.2006 के प्रभाव से छठा पुनरीक्षित केन्द्रीय वेतनमान / वेतन संरचना की स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त संकल्प की कंडिका–15 (ई०) के अनुसार राज्य कर्मियों को केन्द्रीय दर पर महँगाई भत्ता स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है। वित्त विभागीय संकल्प सं० 217 / वि० दिनांक 18.01.2017 के द्वारा राज्य कर्मियों को सप्तम वेतन पुनरीक्षण का लाभ दिया गया है।

2. भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (व्यय) के पत्र संख्या– 1/1(2)/2025-E.II (B), दिनांक 02.04.2025 के द्वारा केन्द्रीय कर्मियों को अपुनरीक्षित वेतनमान / वेतन संरचना (छठा वेतनमान) में दिनांक 01.01.2025 के प्रभाव से महँगाई भत्ते की दर को 246% (दो सौ छियालीस प्रतिशत) से बढ़ाकर 252% (दो सौ बावन प्रतिशत) के रूप में स्वीकृत किया गया है।

3. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में केन्द्र के अनुरुप राज्य कर्मियों, जिनका सप्तम वेतनमान में वेतन पुनरीक्षण नहीं हुआ है, उनके मामले में अपुनरीक्षित वेतनमान (छठा केन्द्रीय वेतनमान) में दिनांक 01.01.2025 के प्रभाव से महँगाई भत्ता की दरों में संशोधन हेतु निम्नलिखित निर्णय लिया गया है :–

"राज्य के सेवीवर्ग, जिनके वेतनमान / वेतन संरचना का पुनरीक्षण वित्त विभाग के संकल्प संख्या 660 / वि० (2), दिनांक 28.02.2009 के द्वारा किया गया है, उन्हें दिनांक 01.01.2025 के प्रभाव से महँगाई भत्ता की दर 246% (दो सौ छियालीस प्रतिशत) से बढ़ाकर 252% (दो सौ बावन प्रतिशत) स्वीकृत किया जाय।"

4. झारखंड सेवा संहिता के परिभाषित नियम–34(ए) के अनुसार मूल वेतन पर महँगाई भत्ता देय है, परन्तु विशेष वेतन / वैयक्तिक वेतन इत्यादि पर देय नहीं होगा।

5. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति वित्त विभागीय संलेख ज्ञापांक 1599 / वि० दिनांक 07.07.2025 के क्रम में दिनांक 11.07.2025 की बैठक के मद सं० 19 में दी गई है।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखंड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाये तथा इसकी प्रतियाँ सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्षों एवं महालेखाकार (लेखा एवं हक०), झारखंड, राँची को प्रेषित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(प्रशांत कुमार)

सचिव,

वित्त विभाग, झारखंड, राँची।

Sharma Ji

28/7

Tr. no. 397
EOP(S)

ज्ञापांक : 33–वि०(अपुनरीक्षित भत्ता)–138 / 2024 1715 / रॉंची, दिनांक 17/07/2025

**प्रतिलिपि** : माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव / सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय / महानिबंधक, झारखंड उच्च न्यायालय, राँची / महालेखाकार (ले॰ एवं हक॰), झारखंड, राँची / मुख्य सचिव के संयुक्त सचिव / सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी उपायुक्त / सभी आरक्षी अधीक्षक / सभी कोषागार / उप–कोषागार पदाधिकारी / जन सूचना कोषांग, वित्त विभाग / वित्त (वै॰दा॰नि॰को॰) विभाग, झारखंड, रांची / कोषागार एवं सांस्थिक वित्त निदेशालय, वित्त विभाग को संबंधित बैंक को सूचित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित / निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, वित्त विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित / महानिबंधक, झारखंड उच्च न्यायालय, राँची को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि महँगाई भत्ता की इस स्वीकृति के संबंध में माननीय मुख्य न्यायाधीश, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची की सहमति प्राप्त करने के बाद ही अपने स्तर से आदेश निर्गत किया जाय / सहायक अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरंडा, राँची को e-गजट के रूप में राजपत्र असाधारण अंक में प्रकाशन करने तथा पी०एम०यू० कोषांग के श्री कृष्ण मुरारी तिवारी को विभागीय Website पर upload करने हेतु प्रेषित।

(प्रशांत कुमार)
सचिव,
वित्त विभाग, झारखंड, राँची।

AAO / Sai

AAO / Pen - 2

AAO / Pen - 3

AAO / Pen - 4

AAO / Pen - 5

AAO / Pen - 6

Pen-1

L-1664